

न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी  
पीठासीन अधिकारी अंजुम ताहिर सम्मा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 63/15 तारीख रजु 28-9-15 तारीख फैसला 26-4-2016

हमीद पुत्र घमण्डी जाति गद्दी निवासी महानन्दपुर ड्योडा तहसील वजीरपुर।  
- वादी -

व नाम

- 1- नसीब पुत्रान घमण्डी जाति गद्दी
- 2- रमजानी निवासी महानन्दपुर ड्योडा
- 3- हनीफ तहसील वजीरपुर
- 4- कमरुद्दीन
- 5- हमीद पुत्र गफूर जाति गद्दी मुसलमान निवासी महानन्दपुर ।
- 6- लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ।

- प्रतिवादीगण -

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, वॉटवारा व इन्द्राज दुरुस्ती


उपस्थित:- श्री गोपाललाल शर्मा एडवोकेट, वादी की ओर से ।

श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 1

लगायत 4 की ओर से ।

निर्णय


वादी द्वारा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम महानन्दपुर ड्योडा मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता घमण्डी पुत्र उम्मेदी के नाम संवत 2009 मे 83 बीधा 5 विस्वा भूमि थी । जिसके खसरा नम्बर 18 रकवा 12 बीधा 16 विस्वा, 39 रकवा 2 बीधा 10 विस्वा, 40 रकवा 6 बीधा 10 विस्वा, 101 रकवा 6 बीधा 14 विस्वा, 103 रकवा 3 बीधा 12 विस्वा, 160 रकवा 1 बीधा 7 विस्वा, 179 रकवा 3 बीधा 6 विस्वा, 194 रकवा 6 बीधा 19 विस्वा, 283 रकवा 1 बीधा 19 विस्वा, 310 रकवा 3 बीधा 10 विस्वा 349 रकवा 4 बीधा 12 विस्वा, 353 रकवा 3 बीधा 1 विस्वा, 359 रकवा 2 बीधा 14 विस्वा, 414 रकवा 2 बीधा 17 विस्वा, 415 रकवा 4 बीधा 17 विस्वा, 501 रकवा 2 बीधा 7 विस्वा, 524 रकवा 12 विस्वा, 551 रकवा 15 विस्वा, 558 रकवा 15 विस्वा, 619 रकवा 17 विस्वा, 639 रकवा 1 विस्वा, 734 रकवा 5 बीधा 13 विस्वा, 359/838 रकवा 2 बीधा 4 विस्वा 665 रकवा 8 विस्वा, 6932 रकवा 2 बीधा 7 विस्वा रही । जिसके एकीकरण




लेक्टर एवं  
पब्लिशेड  
श्री

(2)

संवत् 2019 मे खसरा नम्बर 24 रकवा 6 बीधा 13 विस्वा, 79 रकवा 6 बीधा 19 विस्वा, 239 रकवा 4 विस्वा, 321 रकवा 3 बीधा 16 विस्वा, 383 रकवा 5 बीधा 14 विस्वा कुल रकवा 23 बीधा 6 विस्वा कायम कर खातेदारी वादी हमीद पुत्र घमण्डी के नाम दर्ज कर दी तथा खसरा नम्बर 3 रकवा 25 बीधा 11 विस्वा, 22 रकवा 4 बीधा 16 विस्वा, 242 रकवा 12 विस्वा कुल रकवा 30 बीधा 19 विस्वा कायम कर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 नसीब व प्रतिवादी संख्या 2 रमजानी पुत्रान घमण्डी के नाम दर्ज कर दी । इसी प्रकार खसरा नम्बर 157 रकवा 6 बीधा 13 विस्वा कायम कर प्रतिवादी संख्या 3 हनीफ खां पुत्र घमण्डी के नाम दर्ज कर दी तथा खसरा नम्बर 2 रकवा 7 बीधा 3 विस्वा, 116 रकवा 5 बीधा 9 विस्वा, 202 रकवा 6 बीधा 3 विस्वा, 234 रकवा 2 बीधा कुल रकवा 20 बीधा कायम कर बदस्तूर घमण्डी पुत्र उम्मेदी के नाम दर्ज कर दी । इसके बाद हाल सेटिलमेन्ट मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता घमण्डी पुत्र उम्मेदी की खातेदारी उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 2 रकवा 1.05 हेक्टर, 3 रकवा 0.73 हेक्टर, 317 रकवा 1.37 हेक्टर, 432 रकवा 0.60 हेक्टर, 509 रकवा 0.31 हेक्टर, 510 रकवा 0.95 हेक्टर, कुल रकवा 5.01 हेक्टर हमीद, कमरुद्दीन पुत्रान घमण्डी हि० 2/5 बिला रहन रमजानी पुत्र घमण्डी हि० 1/5, नसीब खां, हनीफ पुत्रान घमण्डी हि० 2/5 के रूप मे दर्ज कर दी, खसरा नम्बर 4 रकवा 4.51 हेक्टर, 5 रकवा 1.38 हेक्टर, 7/781 रकवा 0.12 हेक्टर, 8/780 रकवा 0.31 हेक्टर, 9/779 रकवा 0.16 हेक्टर, 536 रकवा 0.07 हेक्टर, 552 रकवा 0.04 हेक्टर, 81 रकवा 1.21 हेक्टर, कुल रकवा 7.86 हेक्टर कायम कर खातेदारी नसीब पुत्र घमण्डी हि० 1/2 व रमजानी पुत्र घमण्डी हि० 1/2 दर्ज कर दी । इसी प्रकार खसरा नम्बर 84 रकवा 0.53 हेक्टर, 85 रकवा 0.08 हेक्टर, 86 रकवा 1.07 हेक्टर, 190 रकवा 1.76 हेक्टर, 537 रकवा 0.04 हेक्टर, 706 रकवा 1.46 हेक्टर कुल रकवा 4.94 हेक्टर कायम कर खातेदारी हमीद पुत्र घमण्डी के नाम दर्ज कर दी व खसरा नम्बर 667 रकवा 1.13 हेक्टर, हमीदखां पुत्र घमण्डी हि० 95/113 हेक्टर व हमीद खां पुत्र गफूर हि० 18/113 कायम कर खातेदारी दर्ज कर दी । खसरा नम्बर 236 रकवा 1.84 हेक्टर, हनीफ पुत्र घमण्डी के



   
 **सहायक कलेक्टर एवं**

(3)

नाम खातेदारी मे दर्ज कर दी । उपरोक्त गलत इन्द्राज गलत रूप से रेवन्नु कर्मचारियो व सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही के कारण दर्ज किये गये । क्योकि घमण्डी पुत्र उम्मेदी की उक्त भूमि उसके पांचो पुत्रो वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम समान रूप से दर्ज होनी चाहिए थी । मौके पर सभी भाईयो ने आपसी पारिवारिक समझौते के अनुसार भूमि को बांटकर विभाजन कर रखा है । परन्तु आगे चलकर कोई विवाद रिकार्ड मे चल रहे गलत इन्द्राज के आधार पर न हो इसलिये यह दावा पेश किया है । दावा वादी डिग्री किया जाकर भूमि की खातेदारी मौके पर कब्जे व समान हिस्से अनुसार दर्ज की जावे तथा इसी अनुसार दावा वादी डिग्री फरमा दिया जावे ।

दावा प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया । नोटिस बावत विवाधक स्थितिकरण बावत दिनांक 28-9-2015 हेतु जारी किये गये । जिस पर दिनांक 8-3-2016 को प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालत नामा पेश किया तथा जवाब दावा पेश हुआ । दिनांक 12-4-2016 को वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र आदेश 6 नियम 17 जा.दी.पेश किया जिसे स्वीकार किया गया । पत्रावली मे संशोधित वाद पत्र पेश हुआ । साथ ही दिनांक 26-4-2016 को उभय पक्षकारान ने स्वयं उपस्थित होकर मुकदमे मे राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि पक्षकारान मे लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है । जिसके अनुसार वादी हमीद खां पुत्र घमण्डी खातेदारी मे खसरा नम्बर 4 रकवा 4.51 हेक्टर मे से 1.71 हेक्टर, 236 रकवा 1.84 हेक्टर मे से 0.92 हेक्टर, 509 रकवा 0.31 हेक्टर मे से 0.15 हेक्टर, 706 रकवा 1.46 हेक्टर सम्पूर्ण, 9/779 रकवा 0.16 हेक्टर मे से 0.08 हेक्टर, 510 रकवा 0.95 हेक्टर मे से 0.48 हेक्टर जिसे नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया है ग्राम महानन्दपुर ड्योढा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे एवम् प्रतिवादी संख्या 1 नसीब पुत्र घमण्डी के नाम खसरा नम्बर 4 रकवा 4.51 हेक्टर मे से 2.13 हेक्टर, 236 रकवा 1.84 हेक्टर मे से 0.92 हेक्टर, 667 रकवा 1.13 हेक्टर सम्पूर्ण, 8/780 रकवा 0.31 हेक्टर मे से 0.05 हेक्टर , 9/779 रकवा 0.16 हेक्टर मे से 0.08 हेक्टर जिसे नजरी नक्शे मे काले रंग से दर्शाया गया है की खातेदारी

लेक्टर एच  
क मण्डले